आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–56/2013 पुनीता कुमारी वनाम राज्य एवं अन्य

04/15–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
16.5.2017	***आदेश*** उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 56/2013 पुनीता कुमारी वनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनवाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिश जारी किया गया। अपीलवाद में कहा गया है कि दिनांक 17.07.2012 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम के पूर्व सूचना पंत्रांक 288, दिनांक 05.07.2012 के आलोक में केन्द्र देवका वार्ड नं0 05 केन्द्र सं0 131 पंचायत मध्य बोरने के सेविका पद हेतु किसान भवन शिव मंदिर/भगवती स्थान, देवका पर वार्ड सदस्य–सह–चयन समिति पूनम देवी की अध्यक्षता के आमसभा का अयोजन किया गया। जिसमें कुल तीन अभ्यर्थी में दो अभ्यर्थी आमसभा में उपस्थित हुए। जिसमें दो में से सर्वोत्तम अंक एवं सम्पूर्ण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी पुनीता कुमारी का चयन मार्गदर्शिका की कंडिका 8.5 का अक्षरशः पालन करते हुए किया गया। पुनीता कुमारी अपने श्वसुर एवं देवर से वर्षो पूर्व कागजी बंटवारा कर अपना अपना कारोबार अलग करती है तथा एक दूसरे में कोई सरोकार नहीं है। श्वेता कुमारी दिनांक 17.01.2012 को आमसभा में अनुपस्थित थी, इसलिए उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। वादी श्वेता कुमारी का आवेदन तथ्यहीन है एवं विधि विपरित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 20.08.2013 को पुनीता कुमारी के चयन रद्द संबंधी पारित आदेश गलत है। उनके द्वारा अपील को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 20.08.2013 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :– श्रीमती श्वेता कुमारी से प्राप्त परिवाद पत्र के आधार पर वाद संख्या–30/2013 प्रारंभ की गयी है। यह वाद सेविका के चयन में अनियमितता से संबंधित है।	

श्वेता कुमारी के अधिवक्ता का कहना था कि श्वेता कुमारी, पति श्री संजीव कुमार ग्राम देवका वार्ड नं0 05 मध्य बोरने चौथम जिला खगड़िया की स्थायी निवासी है। वह आंगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र की है। मेधा के क्रम–01 में थी। आम सभा के तिथि को वह उपस्थित नहीं हो पायी, क्योंकि श्वसुर की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण चिकित्सा के लिए दिल्ली चली गयी थी। आम सभा की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। मेघा सूची में कम अंक वाले आवेदिका पुनीता कुमारी का चयन किया गया।

उनका यह भी कहना है पुनीता कुमारी के श्वसुर नलकूप विभाग, परबत्ता में सरकारी नौकरी करते हैं। सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका 4.9 के अनुसार "संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी/बहू/रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा"। प्रतिवादी पुनीता कुमारी के चयन को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी पुनीता कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि दिनांक 17.07.2012 का आम सभा में श्वेता कुमारी अनुपस्थित थी। अतः मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद भी श्वेता कुमारी का चयन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शन 2011 के कंडिका 8.5 के आलोक में चयन नहीं किया गया, क्योंकि आम सभा में आवेदिका को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रथम पक्ष श्वेता कुमारी के अनुपस्थिति रहने के स्थिति में ही आमसभा में पुनीता कुमारी का चयन किया गया जो नियमाकूल है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि प्रतिवादी पुनीता कुमारी के श्वसुर नलकूप विभाग में नौकरी तो करते है, किन्तु बंटवारा हो चुका है। श्वसुर के आमदनी पर निर्भर नहीं है। एक साथ रहना भी नहीं होता है। न्यायालय से बंटवारा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

सेविका चयन से संबंधित दस्तावेज का अवलोकन किया गया। साथ ही साथ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, परबत्ता से चयन में अनियमितता संबंधी जांच प्रतिवेदन पत्रांक 183, दिनांक 03.04.2013 द्वारा प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदिका श्वेता कुमारी, पति संजीव कुमार के द्वारा जुलाई 2012 का किसी प्रकार का चिकित्सीय कागजात संलग्न नहीं किया गया और न ही आम सभा की तिथि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी। साथ ही इस केन्द्र पर आमसभा दिनांक 17.07.2012 को हुई है, जबकि चिकित्सीय कागजात मई 2011 तथा जून 2012 का संलग्न है।

पुनीता कुमारी, पति विश्वनाथ सिंह के श्वसुर मणिलाल सिंह परवत्ता में नलकूप विभाग में कार्यरत है। इस बात की पुष्टि नलकूप विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा भी की गयी है।

उपलब्ध साक्ष्य, विद्वान अधिवक्ता के कथन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी पुनीत कुमारी के श्वसुर श्री मणिलाल सिंह नलकूप विभाग में कार्यरत है। सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 4.9 के अनुसार संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों

की पत्नी/ब्रहु/रिश्तेदारों का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा।" स्पष्टतः प्रतिवादी पुनीता कुमारी नलकूप विभाग में कार्यरत श्री मणिलाल सिंह की बहू है। प्रतिवादी पुनीत कुमारी का यह पक्ष कि आपसी बंटवारा हो गया है, वह श्वसुर से बिल्कुल स्वतंत्र है, निर्भर नहीं है। प्रासंगिक कंडिका में ग्राह्य नहीं माना गया तथा इस आलोक में पुनीत कुमारी सेविका का चयन को रद्द किया गया। श्रीमती श्वेता कुमारी आग सभा में अनुपस्थिति थी। अतः चयन मार्गदर्शन 2011 के कंडिका 8.5 के अनुसार उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम को उक्त केन्द्र पर पुनः नियमानुसार चयन की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम से जानकारी प्राप्त की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि मध्य बोरने पंचायत के वार्ड सं0 05 देवका आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या–131 पर आंगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु विज्ञापन दिनांक 04.07.14 को प्रकाशित किया गया एवं विधिवत आम सभा दिनांक 20.11.2014 को आयोजित कर पोषक क्षेत्र, योग्यता एवं प्राप्तांक के आधार पर श्रीमती श्वेता कुमारी का चयन किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि पुनीता कुमारी के श्वसुर श्री मणिलाल सिंह नलकूप विभाग में कार्यरत है। अपीलार्थी का यह कहना कि वे बिल्कूल स्वतंत्र है, श्वसुर पर निर्भर नहीं हैं। उनके द्वारा इस संबंध में न्यायालय से बंटवारा के अलावे स्वतंत्र रूप से अलग रहने संबंधी अन्य कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। न हि इस बात से इस तथ्य पर कोई असर पड़ता है कि वे चयन हेतु अयोग्य है। अतः उनका यह कहना कि वे श्वसुर से अलग रहती हैं सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका 4.9 के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमती पुनीता कुमारी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0......278........../विधि, दिनांक 29/8/2017 प्रतिलिपिः–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 29/8/2017 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, 29/8/17 खगड़िया।	